भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2443

(06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत हाउसिंग प्लस

2443. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011 के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लगभग सभी आवेदकों को इस योजना का लाभ मिला और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वर्ष 2018 की हाउसिंग प्लस सूची में 48390 लोगों के नाम थे जिनमें से केवल 17266 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सका जबकि 31124 आवेदकों को आवास नहीं दिए गए अथवा उनके नाम सूची से हटा दिए गए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सूची में शामिल शेष लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पहल करेगी;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या सूची में शामिल आवेदकों को किसी अन्य योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य् मंत्री

(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करते हुए बुनियादी सुविधायुक्त 2.95 करोड़ पक्के आवासों का निर्माण करना है। पीएमएवाई-जी के तहत, 2.95 करोड़ आवास निर्माण का समग्र निर्धारित लक्ष्य पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जा चुका है, जिसकी तुलना में 2.946 करोड़ से अधिक आवास लाभार्थियों को पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और दिनांक 01.08.2024 तक 2.64 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पहले ही पूर्ण हो चुका हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी)-2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मानदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों तथा संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन एवं अपील प्रक्रिया के पूरा होने के आधार पर की जाती है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पात्रता की पहचान करने के लिए इन मापदंडों/मानदंडों को एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर लागू किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आवास+सर्वेक्षण कराया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके, जिन्होंने दावा किया था कि वे एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण के तहत छूट गए थे और इस प्रकार संभावित पात्र लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई। आवास+ सर्वेक्षण के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 3.90 करोड़ संभावित पात्र परिवार पंजीकृत किए गए और ग्राम सभाओं द्वारा पुनर्निरीक्षण/सत्यापन के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 2.79 करोड़ परिवार संभावित रूप से पात्र पाए गए। 2.95 करोड़ परिवारों के समग्र निर्धारित लक्ष्य में से, 2.04 करोड़ लाभार्थी परिवारों की पहचान एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण डेटाबेस से की गई है और 91 लाख परिवारों (2.95-2.04) के अंतर्गत को पूरा करने के लिए, ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन प्रक्रिया और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवास+सर्वेक्षण डेटाबेस का उपयोग किया गया।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत परिवारों से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 और अंतिम आवास+ सूची के आधार पर पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल से की गई है।

(ग) से (ङ): केंद्र सरकार ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों के निर्माण की घोषणा की है।

*****